2004 : CGHC : 1232

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 2053/2003

याचिकाकर्ता : मुरारी राम साहू, आयु लगभग 34 वर्ष, पिता स्वर्गीय श्री बुधराम साहू, निवासी– ग्राम कलदाबाड़ी, पोस्ट महरम, थाना डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव (छग)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1) छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत विभाग, रायपुर, छ०ग०।

2) कलेक्टर, राजनांदगांव (छ०ग०)

3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपत पंचायत, छूरिया, जिला राजनांदगांव (छ०ग०)।

4) ग्राम पंचायत, द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत कलदबाड़ी, जिला राजनांदगांव (छ०ग०)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

उपस्थिति: : श्री पराग कोटेचा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

: उत्तरवादीगण संख्या 1 और 2 के लिए श्री संदीप दुबे, शासकीय अधिवक्ता।

: उत्तरवादी संख्या 3 के लिये श्री रणबीर सिंह मरहास, अधिवक्ता।

U+

(13 जनवरी, 2006)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश **न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री** द्वारा पारित किया गया :

2004 : CGHC : 1232

1. याचिकाकर्ता को वर्ष 1995 में ग्राम पंचायत कलदाबाड़ी, जिला–राजनांदगांव (छ०ग०) में पंचायत कर्मी के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता को पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (इसके बाद 'अधिनियम 1993' के रूप में संदर्भित) की धारा 69 (1) के उपबंधों के अंतर्गत आदेश दिनांक 10.08.2000 (अनुलग्नक पी–1) द्वारा पंचायत सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उत्तरवादी सं. 4 ग्राम पंचायत ने अपने संकल्प दिनांक 25.04.2003 द्वारा, याचिकाकर्ता को कोई कारण बताओं जारी किए बिना, याचिकाकर्ता को पंचायत कर्मी के पद से हटाने का संकल्प लिया। इसके बाद याचिकाकर्ता को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छूरिया, जिला–राजनांदगांव अर्थात आई. डी. 1 (अनुलग्नक पी/3) पर कारण बताएँ नोटिस दिया गया। (उत्तरवादी संख्या 3), कि उनकी सेवाओं को क्यों समाप्त नहीं किया जाता है। याचिकाकर्ता को दिनांक 13.06.2003 को ग्राम सभा की एक विशेष बैठक में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. याचिकाकर्ता ने अपना जवाब(अनुलग्नक पी–5) दिनांक 06.06.2003 को दाखिल किया। उत्तरवादी संख्या 4 ने दिनांक 13.06.2003 को ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई थी, और याचिकाकर्ता के कारण बताओं नोटिस के जवाब पर विचार किए बिना याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया। याचिकाकर्ता ने यह याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत दायर की है, जिसमें निवेदन किया गया है कि आदेश/संकल्प दिनांक 13.06.2003 (अनुलग्नक पी–6) को रद्द/अपास्त कर दिया जाए और याचिकाकर्ता को पंचायत कर्मी/सचिव के रूप में काम करने की अनुमति दी जाए।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पराग कोटेचा ने तर्क प्रस्तुत किया कि पंचायत सेवा (अनुशासन और अपील) नियम 1999 (इसके बाद "नियम 1999" के रूप में संदर्भित) का नियम 7, नियम 1999 के नियम 5 (ख) के अंतर्गत विहित दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने के लिए कारण बताओं नोटिस जारी करके उचित औपचारिक जांच का उपबंध करता है। आगे यह तर्क दिया गया है कि उत्तरवादीगण ने आदेश/संकल्प दिनांक 13.06.2003 द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करके दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने से पहले नियम 1999 के नियम 7 की वैधानिक आवश्यकता का पालन नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. उत्तरवादी संख्या 3, अर्थात मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छुरिया की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता श्री रणबीर सिंह मरहास ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने उचित जानकारी दिए जाने के बावजूद ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने से परहेज किया था। विद्वान अधिवक्ता उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा दायर प्रत्युत्तर के आधार पर जवाब देने की स्थिति में नहीं है कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा दायर जवाब पर विचार किया गया था या क्या नियम 1999 के नियम 7 में यथानुध्यात अनुसार कोई विभागीय जांच हुई थी।

5. श्री संदीप दुबे, उत्तरवादी संख्या 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता , उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा दी गई दलीलों का समर्थन करते हैं और उन्हें अपनाते हैं। इसके अलावा, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता को नियम 1999 के नियम 15 के तहत अनुध्यात वैधानिक अपील दायर करने के वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाना चाहिए था।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और रिट याचिका के साथ–साथ उत्तरवादीगणओं द्वारा दायर जवाब से जुड़े सभी दस्तावेजों का अध्ययन किया है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें स्वीकृत रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और नियम , 1999 के वैधानिक प्रावधानों का घोर उल्लंघन हुआ है । याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और याचिकाकर्ता ने जवाब भी दाखिल किया था, लेकिन कारण बताओ नोटिस में आरोपित तथ्यों का पता लगाने के लिए कोई जांच नहीं की गई थी । आरोप–पत्र में गंभीर आरोप हैं जो निराधार और अप्रमाणितसिद्ध हुए थे क्योंकि कोई जांच नहीं हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. जहाँ तक वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता का संबंध है, यह विवेकाधिकार का नियम है, न कि विधि का। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जिसमें नियम 1999 के नियम 7 के वैधानिक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है, वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर इस याचिका को निरस्त करना आवश्यक नहीं है।

8. बकाया वेतन के संबंध में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता कहीं और लाभकारी रूप से नियोजित नहीं था और यह याचिका दिनांक 25.07.2003 को तत्काल दायर की गई थी । याचिकाकर्ता को उसके अवैध आचरण के कारण काम करने से रोक दिया गया है और उसके वेतन से वंचित कर दिया गया है। याचिकाकर्ता 100% बकाया वेतन पाने का हकदार है। इसके विपरीत, उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता 'कार्य नहीं, वेतन नहीं' के सिद्धांत पर किसी भी बकाया वेतन का हकदार नहीं है। यह सत्य है कि याचिकाकर्ता की सेवा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना तथा नियम 1999 के वैधानिक प्रावधानों का पालन किए बिना समाप्त कर दी गई थी। याचिकाकर्ता को उत्तरवादीगण के आचरण से सेवा में

काम करने से रोक दिया गया था। इस प्रकार, 'कार्य नहीं, वेतन नहीं' का सिद्धांत लागू नहीं होगा। प्रकरण के तथ्यों में, याचिकाकर्ता 50 प्रतिशत वेतन वापस पाने का हकदार है।

9. उपर्युक्त कथित कारणों से, आक्षेपित आदेश/संकल्प दिनांक 13.06.2003 (अनुलग्नक पी–6) को अभिखंडित और अपास्त किया जाता है। याचिका स्वीकार की जाती है । वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**